भारत के संविधान में निर्दिष्ट

मौलिक अधिकार

एवं

मौलिक कर्तव्य

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)

सत्यमेव जयते

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के
लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीष शुक्ल सप्तमी,
संवत् दो हजार छह विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित
करते हैं।

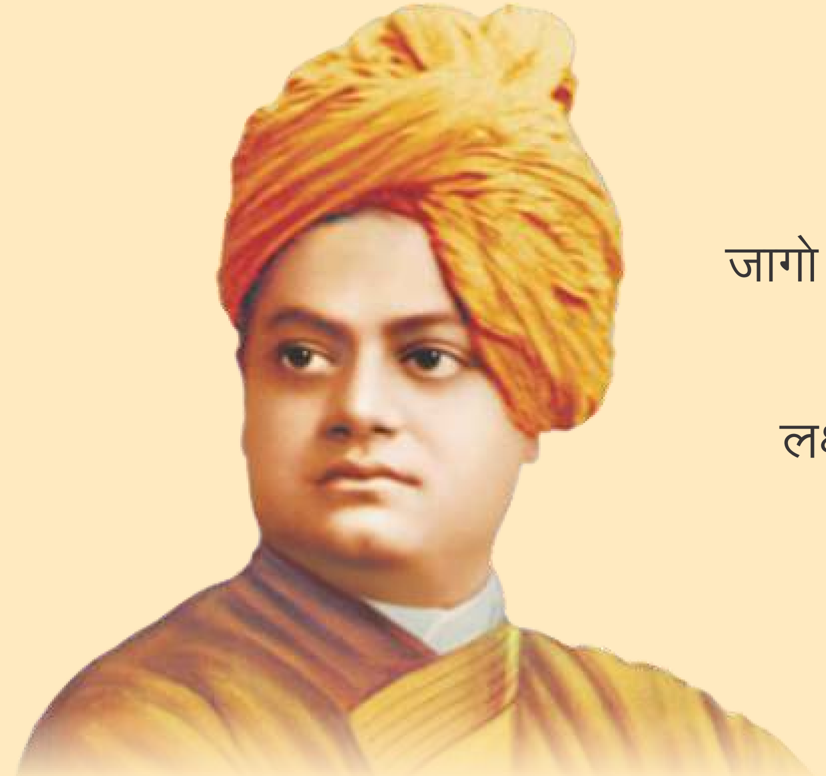

उठो,
जागो और तब तक नहीं रूको
जब तक
लक्ष्य ना प्राप्त हो जाये।

– स्वामी विवेकानंद

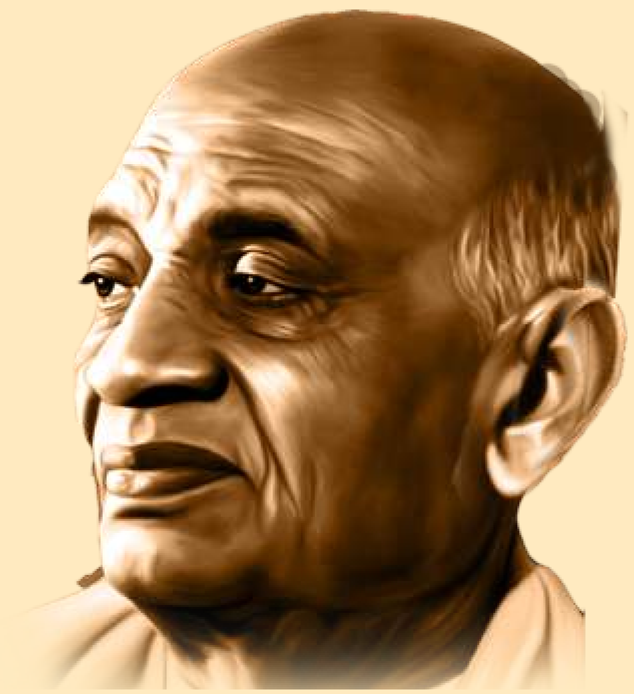

मेरी एक ही इच्छा है कि
भारत एक अच्छा उत्पादक हो,
और इस देश में कोई अन्न के लिए
आंसू बहाता हुआ भूखा न मरे।

– सरदार पटेल

Justice Ajay Kumar Mittal
CHIEF JUSTICE

191, South Civil Lines,
JABALPUR - 482 001
Tel. (O) 2626443
(R) 2678855
2626746
Fax 0761 - 2678833

संदेश

भारतीय संविधान ने विगत वर्ष 2019 में अपने निर्माण के 70 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। इन 70 वर्षों की लंबी यात्रा में संविधान के भाग–3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों ने मानवीय गरिमा के साथ व्यक्ति का सतत् विकास किया है। मूल अधिकारों की इसी महत्वपूर्ण एवं व्यापक भूमिका के कारण बाबा साहेब अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा था परंतु अधिकार की यह संकल्पना निरपेक्ष नहीं है। संविधान के भाग–4 क में भारतीय नागरिकों के कुछ कर्त्तव्य बताये गए हैं। जोकि संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है परंतु वे एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। जैसे अनुच्छेद–21 क में बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 51क (ट) में प्रत्येक माता–पिता पर यह कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के शिक्षा का अवसर उपलब्ध करायें। इस प्रकार संविधान में वर्णित अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर सम्बद्ध हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका आम जन को उनके मूल अधिकारों से जागरूक कराने के साथ संविधान में वर्णित कर्त्तव्यों से भी उन्हें जागरूक करती है। जिससे वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सकें। इस ज्ञानवर्धक पुस्तिका के माध्यम से यह संदेश प्रसारित करने के लिए मैं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास से जन सामान्य लाभांवित होगा।

(Ajay Kumar Mittal)
CHIEF JUSTICE

Justice Sanjay Yadav
Administrative Judge,
High Court of Madhya Pradesh
Executive Chairman,
M.P. State Legal Services Authority
574, Sourth Civil Lines, JABALPUR - 482 001 (M.P.)

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

Bungalow No. A-5
Judges Enclave, Dumna Road
Behind Rani Durgawati Vishwavidyalay
JABALPUR (M.P.) - 482001
: 0761-2678014, 2626983 (O)
: 0761-2601433, 2600619 (R)

संदेश

संविधान दिवस! प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को यह दिवस संविधान में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 2019 को संविधान निर्माण के 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों एवं प्राधिकरणों के माध्यम से वर्ष भर चलने वाले एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है जो कि संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों पर केन्द्रित होगा।

यह विशेष अभियान दिनांक 26 नवम्बर 2019 से प्रांरभ होकर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती – 14 अप्रैल 2020 समरसता दिवस तक जारी रहेगा। इस दौरान म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। संविधान में वे समस्त सिद्धांत वर्णित है जो विधि का शासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। संविधान में भारत की संप्रभुता का स्रोत 'हम भारत के लोग' अर्थात आमजन को बताया गया है। संविधान में मानवीय गरिमा एवं मानव के सर्वांगीण विकास हेतु अधिकार और कर्त्तव्य दिये गये हैं। अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों बल्कि अपने कर्त्तव्यों की भी जानकारी होना चाहिए। जिससे एक स्वस्थ और प्रगतिवान समाज की स्थापना हो सके। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।

संविधान में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धातों में से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य पर इस पुस्तिका में सरल एवं बोधगम्य रूप से चर्चा की गई है। मैं यह आशा करता हूँ कि आम जन को उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों से परिचित कराने में यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

(Sanjay Yadav)

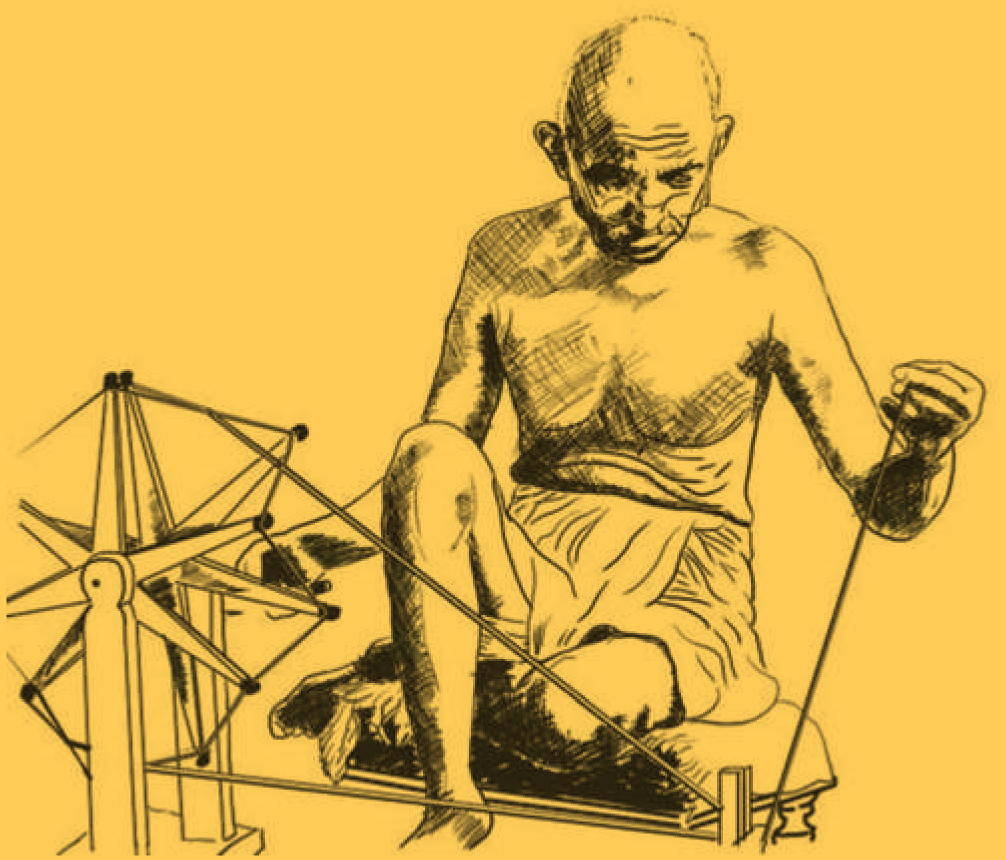

‘‘अधिकारों का वास्तविक उद्‌गम–स्थल, कर्त्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्त्तव्यों का भली–भांति सम्पादन करें तो हमारे अधिकार हमसे दूर नहीं हैं। यदि हम अपने कर्त्तव्यों को अपूर्ण छोड़कर अधिकारों के पीछे भागेंगें तो वे हमसे दूर होते जायेंगें। एक परछाई की भांति जितना हम उनका पीछा करेंगें उतना ही, अधिकार हमसे दूर भागते जायेंगें।‘‘

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

भारत के संविधान में निर्दिष्ट मौलिक अधिकार

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। समता का अधिकार (समानता का अधिकार) अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है।

- जाति, लिंग, धर्म, तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
- सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है।
- राज्य सार्वजनिक पूजा स्थल, दार्शनिक स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का अंत करेगा।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया गया है सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद (19–22) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं–

- वाक–स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने–जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
- इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं।

शिक्षा का मूल अधिकार

अनुच्छेद–21क (शिक्षा का मूल अधिकार) 86 वाँ संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद–21क में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात् अनुच्छेद–21क में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार–

निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है– किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस /शुल्क/ व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में रूकावट डाले, एवं अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है – 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन, शत्–प्रतिशत् उपस्थिति तथा शत्–प्रतिशत् बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। साथ ही बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अभिभावकों पर भी डाली गई है। इसके लिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद–51(K) में इसे शामिल किया गया है।

प्रमुख प्रावधान :–

- ड्रापआउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन।
- अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण।
- प्रवेशित बच्चों के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार।
- प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित।
- समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस (Neighbourhood) में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की बाध्यता।
- शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित।
- शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित– दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावक एवं शिक्षक की शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा।
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान।

इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड :–

- केपिटेशन फीस प्रतिबंधित, उल्लंघन पर केपिटेशन फीस का 10 गुना दण्ड,
- प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित,
- चयन रेंडम आधार पर,

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उल्लंघन पर दण्ड :

- **पहली बार – रू. 25000, अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रू. 50000,**
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं,
- बिना नार्म्स एवं मापदण्ड के कोई भी मान्यता नहीं,
- बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद संचालन पर रू. 1 लाख का दण्ड, तदुपरांत प्रतिदिवस रू. 10000 ,
- मापदण्ड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की समय सीमा,
- शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति हेतु 6 माह, किसी भी शाला में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ नहीं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद (23–24) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं–

- मानव दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध
- कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
- किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद(25–28) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित हैं, जो नागरिकों को प्राप्त है–

- अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अन्दर सिक्खों को कटार रखने की आजादी प्राप्त है –
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनुच्छेद(29–30) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार–

- किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार।
- अल्पसंख्यक–वर्गों के हितों का संरक्षण।
- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक–वर्गों का अधिकार।

कुछ विधियों की व्यावृत्ति

अनुच्छेद(32) के अनुसार कुछ विधियों के व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है–

- संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
- कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण।
- कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32–35) को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी थी। सांवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर 5 प्रकार के प्रावधान हैं–

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण : बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ़्तारी का तरीका या कारण ग़ैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
- परमादेश : यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
- निषेधाज्ञा : जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख' जारी करती हैं।
- अधिकार पृच्छा : जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
- उत्प्रेषण रिट : जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

भारत के संविधान में निर्दिष्ट मौलिक कर्त्तव्य

हम भारत के लोग

जिस प्रकार हमारे कुछ अधिकार हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्त्तव्य भी हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। यदि नागरिक, राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्र को नित–नूतन शिखर पर लेकर जाने का उत्तरदायित्व उसके नागरिकों का है। भारतवर्ष की सम्प्रभुता, भारत के नागरिकों में निहित है।

स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, संविधान के बयालिसवें संशोधन के द्वारा, मौलिक कर्त्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। संविधान के भाग 4क में अनुच्छेद 51क सम्मिलित किया गया। वर्ष 2002 के छियासिवें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ा कर 11 कर दी गई। अनुच्छेद 51क में निर्दिष्ट मौलिक कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं:–

1. संविधान की अनुपालना एवं उसके आदर्शों, उसके अन्तर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान {खण्ड (क)}

प्रत्येक भारतीय का सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि कर्त्तव्य यह है कि वो संविधान की अनुपालना एवं उसके आदर्शों, उसके अन्तर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे।

संविधान के आदर्शों का सारांश, संविधान की उद्देशिका ;च्तमंउइसमद्ध में दिया गया है:–

- न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक।
- स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की।
- समता, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा उन सब में
- बन्धुता, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अंखडता सुनिश्चित हो।

उपरोक्त शब्द संविधान के मूलभूत आदर्शों के प्रतिनिधि हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के साथ बिना किसी जाति–मूलक भेदभाव के समान व्यवहार हो।

आर्थिक न्याय का अर्थ है कि नागरिकों में अलग–अलग आर्थिक स्थितियों की वजह से कोई भेदभाव न हो। राजनैतिक न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार हों, और उनकी प्रत्येक राजनीतिक संस्था में पहुँच हो एवं सरकार में उनका एक समान हिस्सा हो।

संविधान की उद्देशिका ;च्तमंउइसमद्ध के स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुता, इत्यादि शब्द फ्रांसीसी क्रान्ति से लिये गये हैं। समता का अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय को एक समान अवसर प्राप्त हों, ना कि, केवल कुछ वर्ग–विशेष के लिए खास प्रावधान हों। बंधुता का तात्पर्य भ्रातृत्व की भावना से है। प्रत्येक भारतीय को उपरोक्त आदर्शों का नितान्त स्मरण रहे व वे उन्हें अपने जीवन में उन्हें मूर्त रूप दें।

संविधान के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाऐं तीन है:– कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करे।

हमारा राष्ट्र–ध्वज एवं राष्ट्र–गान हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। संविधान, राष्ट्र–ध्वज एवं राष्ट्र–गान का सम्मान हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। राष्ट्र के उपरोक्त प्रतीकों का तिरस्कार राष्ट्रीय सम्मान की मानहानि प्रतिबंध अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है।

राष्ट्र–ध्वज के विषय में निम्नलिखित बातें स्मरण रखने योग्य हैं:–

- राष्ट्र–ध्वज तीन रंगों की पट्टिकाओं से बनता है जो आयताकार होती हैं व उनका आयाम बराबर होता है। सबसे उपर वाली पट्टिका केसरी रंग की, बीच वाली पट्टिका सफेद रंग की एवं नीचे वाली पट्टिका हरे रंग की होती

है। सफेद रंग की पट्टिका के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र मुद्रित होता है जिसमें 24 बराबर के अरे होते हैं। अशोक चक्र स्क्रीन मुद्रित होता है एवं उस पर उचित कढ़ाई की जाती है। अशोक चक्र, ध्वज के मध्य में, दोनों तरफ से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
- राष्ट्र–ध्वज किसी भी वस्तु को ढ़कने के लिए प्रयोग नहीं होता (सिवाय राज्य–सैन्य बल, सैन्य–बल, अर्धसैनिक–बलों के सैनिकों की अंत्येष्टि पर, जो कि राष्ट्र–ध्वज संहिता 2002 के अनुसार है।)
- राष्ट्र–ध्वज को किसी भी वाहन, रेल या नाव के शीर्ष–भाग, पृष्ठ–भाग या सिरे को ढ़कने के लिए प्रयोग नही किया जाता।
- राष्ट्र–ध्वज को इस प्रकार से प्रयोग या संग्रहित नहीं किया जाता जिससे उसे क्षति हो या उसमें मलीनता आये।
- यदि राष्ट्र–ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा मलिन अवस्था को प्राप्त हो गया है तो उसको सम्मान पूर्वक ढंग से तिरोहित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ध्वज को पूर्ण रूप से, एकांत में तिरोहित किया जाता है। ध्वज के तिरोहण के लिए या तो अग्नि–संस्कार किया जाता है अन्यथा किसी ऐसी विधि से तिरोहित किया जाता है जो ध्वज की गरिमा के अनुकूल हो।
- राष्ट्र–ध्वज को किसी भी इमारत को ढ़कने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता।
- राष्ट्र–ध्वज को किसी भी प्रकार के वस्त्र या वर्दी या उसके भाग–विशेष के लिए प्रयोग नही किया जाता।
- राष्ट्र–ध्वज की तकिये, रूमाल, मेजमाल या संदूक इत्यादि पर कढ़ाई नही की जाती।
- राष्ट्र–ध्वज पर किसी भी प्रकार के अभिलेख नही लिखे जा सकते।
- राष्ट्र–ध्वज को किसी भी रूप में विज्ञापन के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस स्तम्भ पर राष्ट्र–ध्वज को फहराया जाता है उस पर कोई विज्ञापन नही बांधा जा सकता।
- राष्ट्र–ध्वज को किसी भी वस्तु को ग्रहण करने, पहुँचाने, थामने और ढोने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता किन्तु स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस इत्यादि विशेष समारोहों में राष्ट्र–ध्वज के अन्दर फूलों की पंखुडियाँ उस समय तक रखीं जा सकती हैं, जब तक ध्वजारोहण ना हो जाये।

2. भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक, महान आदर्श को नितान्त स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना {(खण्ड) (ख)}

हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र–हित में जो बलिदान दिये, उन्हें याद रखना हम सब का कर्तव्य है। जिन आदर्शों की प्रेरणा से भारत का स्वाधीनता संग्रम हुआ था, उन्हें हम सबको नितान्त स्मरण रखना होगा, आत्मसात करना होगा व अनुगमन करना होगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक न्यायोचित समाज की सरंचना करना चाहते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के द्वारा शोषण न हो। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जिसके स्तम्भ, स्वाधीनता, समता, अहिंसा, भ्रातृत्व एवं विश्व शांति के आदर्श हों। अतः हम सब भारतीयों को हमारे स्वतंत्रता–संग्राम सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को स्मरण करते रहना चाहिए। हमारी स्वाधीनता उन स्वतंत्रता सेनानियो द्वारा प्रदत्त, एक अमूल्य उपहार है। उन्होनें सिर्फ इस कारण से अपने जीवन का बलिदान दिया था, ताकि हम सब एक स्वाधीन राष्ट्र में रह सकें। अतः हमें उनके आदर्शों के प्रति जागरूक एवं प्रतिबद्ध रहते हुये, भारत को हर दिन एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा।

3. भारत देश की सम्प्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखना {(खन्ड(ग)}

भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है अर्थात् हमारा देश आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न व बाह्य रूप से पूर्ण स्वंतत्र है। वह किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना, अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। अपनी इस सम्प्रभुता को सुरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है। भारत देश की सम्प्रभुता भारत के नागरिकों में निहित है।

हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता व अखंडता को ठेस पहुँचे। इस उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति की वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी यथोचित प्रतिबंध लगाये गये है। निम्नलिखित बातें स्मरण रखने योग्य है:–

- ऐसा आचरण जिससे देश की एकता को आघात या क्षति पहुँचे, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत दंडनीय है।
- ऐसे अभियोग एवं अभिकथन जो राष्ट्र की अखंडता के प्रतिकूल हों, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के दंडनीय है।
- ऐसे वक्तव्य या बयान जिनमें भयप्रद संदेश हैं, जो शत्रुता को बढ़ावा देते हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) के तहत दंडनीय हैं।

आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना खन्ड (घ)

प्रत्येक भारतीय को बाह्य आक्रमण के विरूद्ध, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को देश की रक्षा के लिए शस्त्र भी संभालने होंगें। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य है। तीनों सुरक्षा–बलों में कार्यरत नागरिक, इस मौलिक कर्त्तव्य से हर समय, पूर्ण रूप से न्यस्त हैं। ना केवल बाहय आक्रमण से हमें राष्ट्र को बचाना होगा बल्कि आन्तरिक राज–द्रोह से भी राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्त्तव्य है।

4. सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए, सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भ्रातृत्त्व की भावना का विकास, नारी की गरिमा के विरूद्ध कुप्रथाओं का त्याग खन्ड(ड.)

भारत एक बहु–धर्मीय एवं बहु–भाषीय राष्ट्र है। अनेकता में एकता, भारतीय सभ्यता का अनुपम सौंदर्य है। भारत में विश्व के प्रमुख सात धर्मो के अनुयायी निवास करते हैं। ये धर्म हैं हिन्दु, ईस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख एवं पारसी। भारत जैसे देश में जहां ''वसुधैव कुटुंबकम्'' का आदर्श सदैव रहा है, वहां भ्रातृत्त्व की भावना सहज ही विद्यमान रहनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय का यह कर्त्तव्य है कि वह जाति, सम्प्रदाय व वर्ण से निरपेक्ष हो कर, सार्वजनिक सामंजस्य एवं भ्रातृत्त्व–भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि करे। समय की आवश्यकता है बंधुता के भाव को सुदृढ़ करा जाए व इसे क्षीण होने से बचाया जाये। भारतीय होने के नाते, हम सब को मिल कर एकात्मक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भारत एक सुदृढ एवं समृद्ध राष्ट्र बने। संविधान ने हम सबको यह जिम्मेदारी भी सौंपी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि नारी की गरिमा के विरूद्ध सभी कुप्रथाओं का खंडन हो। ''यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः'' हमारी संस्कृति का आदर्श रहा है। उपरोक्त आदर्श से विमुखता व विचलन, जो कि बहुत बाद में आया, उससे हमारी समाजिक छवि को ठेस पहुँची। इस आदर्श का पुर्नस्थापना भी हमारा कर्त्तव्य है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने ऐसे अनेक कानून बनाये हैं जिनमें इन कुप्रथाओं को दण्डित करने का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15, व 16 में सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो **;छब्त्ठद्ध** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 3 मिनट में स्त्रियों के प्रति एक अपराध होता है, हर 60 मिनट में दो बलात्कार होते हैं व हर 6 घंटे में एक शादीशुदा महिला को चोट मार कर, जला कर या आत्महत्या के कगार पर पहुँचा के, मौत के घाट उतार दिया जाता है। नारी के प्रति इन अपराधों को रोकना हमारा मौलिक कर्त्तव्य है।

Respect Women

5. अपनी उदात्त संस्कृति व गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझना और उसे संरक्षित रखना।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं अद्वितीय संस्कृतियों में से एक है। भारत युगों–युगों से विश्व–गुरू की पदवी पर आसीन रहा है। अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं व उसे अधिक जानना चाहते हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत की सांस्कृतिक एकता 5000 वर्ष से भी अधिक समय से अखंड है। हम सब इस महान सभ्यता एवं संस्कृति के सहभागी हैं। हमें नितान्त स्मरण रहना चाहिए:–

- कला, शिल्प–कला, वास्तुकला, गणित, विज्ञान एवं चिकित्सा, इत्यादि के क्षेत्र में भारत का योगदान बहु–विदित है।
- भारत, विश्व के प्राचीनतम एवं सूक्ष्मतम दार्शनिक विचारों एवं साहित्य का जन्म–दाता है।

- भारत में पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण, असंख्य ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनमें दुर्ग, महल, मंदिर, गुफा–चित्र, मस्जिदें और गिरिजाघर हैं।
- भारत, विश्व के अनेक महान धर्मों की जन्म–स्थली है जैसे कि हिंदु, बौद्ध, जैन व सिख धर्म।
- हमारे देश का इतिहास हमें शांति, प्रेम, अंहिसा, सत्य का पथ प्रदर्शित करता है।

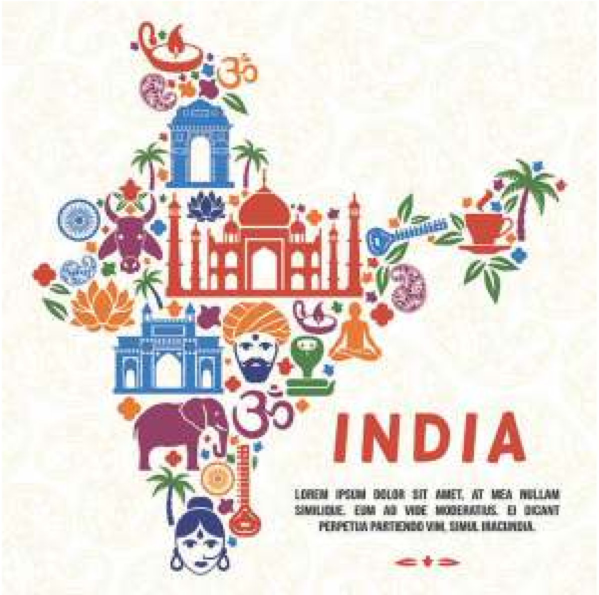

भारतीय होने के नाते हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम इस महान परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करे और आपस में प्रेम और सामंजस्य से रहें।

हमारी सांस्कृतिक परम्परा सर्वाधिक महान और सुभ्रदा है। साथ ही साथ ही पूरे विश्व की भी धरोहर है। अतः इसका संरक्षण भी प्रत्येक भारतीय का मौलिक कर्त्तव्य है। हम सब को जो परम्परा से प्राप्त हुआ है उसे, हमें सुरक्षित रखना होगा ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किया जा सकें।

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐतिहासिक स्मारकों व कला–कृतियों को कोई भी क्षति न पहुँचायें, खंडित ना करे, विरूपित ना करे, कुरेदे ना व उनके साथ बर्बरता–पूर्ण व्यवहार ना हो।

6. वन, सरोवर, नदी एवं वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा प्राणी–मात्र के प्रति करूणा {खण्ड (छ)}

प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में मनुष्य इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जाये, जैसे कि वायु, जल, पेड़–पौधे एवं जीव–जन्तु। विभिन्न देशों के प्राचीन ग्रंथ, मनुष्य के इस प्रत्यन की कथाओं से भरे हुए हैं। भारत के ऋषियों एवं सन्तों ने यही शिक्षा दी है कि पृथ्वी, आकाश, नदियों समुद्रों एवं पेड़–पौधों इत्यादि के रूप में व हर रूप में परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। आज भी अधिकतर लोग इसे अपना धार्मिक कर्त्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये सम्पदा सामूहिक है। हर नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह वन, सरोवर, नदी, एवं वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करे और प्राणी–मात्र के प्रति मन में दया का भाव रखे। बढ़ता हुआ वायु, जल, और ध्वनि प्रदूषण तथा बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, मानव जीवन को बहुत अधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। जंगलों की सुरक्षा, वृक्षारोपण, नदियों की सफाई, जल संसाधनों की सुरक्षा और पर्वत, पहाडी एवं बंजर भूमि में पुनः जंगल लगाना तथा गांव, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रित करने से हम नागरिकों और पृथ्वी गृह के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। भारत के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं:–

- वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972
- जल प्रदूषण प्रतिषेध व नियामक अधिनियम, 1974
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वायु प्रदूषण प्रतिषेध व नियामक अधिनियम, 1981
- वातवारण सुरक्षा अधिनियम, 1986

7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास {खण्ड (ज)}

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य एक ऐसी दृष्टि से है जिसका आधार व्यवस्थित ज्ञान एवं अनुभव–जन्य ज्ञान है। इसमें अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नही है। समाज का विकास तभी हो सकता है जब लोग अंधविश्वासों का त्याग कर दें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग अंधविश्वासों और निरर्थक प्रथाओं से बद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक दृष्टि का बीजारोपण, राष्ट्र के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

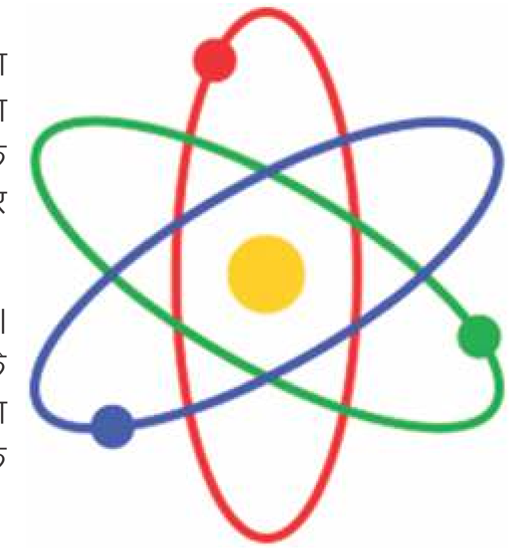

हमें याद रहना चाहिए कि प्राचीन काल में भारत एक उन्नत राष्ट्र था और भारतीयों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान केवल अंकगणित ;छनउमतपबंसेद्ध व बीजगणित ; ।सहमइतंद्ध तक ही सीमित नही था, अपितु त्रिकोणीयमिति ;ज्तपहवदवउमजतलद्ध और कलन विधि ; ।सहवतपजीउद्ध का भी विवरण और विकास हुआ था।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत में अभूतपूर्व विकास हुआ था। पहली शताब्दी की चरक–संहिता में रोग–निर्णय ;क्पंहदवेपेद्ध के उल्लेखनीय विवरण मिलते हैं। उसमें एक ऐसे चिकित्सा तंत्र की स्थापना की गई है जोकि मानवीय ज्ञान और कौशल पर निर्भर है, ना की अलौकिक या अतिमानवीय रहस्यों पर।

यह हमारा कर्त्तव्य है कि विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का नाम हो। ज्ञान का सूर्य, हर किसी के लिए उदित हो, प्रकाशित हो व कहीं भी संकीर्ण–मानसिकता, अंधविश्वास व हठधर्मिता के लिए स्थान ना रहे।

8. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग {खण्ड (झ)}

यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का विध्वंस, आज के समाज में, अपनी शिकायतों की घोषणा करने का लोकप्रिय माध्यम बन गया है। जबकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति के विध्वंस का प्रतिबंध अधिनियम, 1984 के तहत दंडनीय है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। बंद, हड़ताल, आंदोलन व राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान विरोध प्रदर्शित करने के लिए, रेल बस व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाने से पूरे देश का नुकसान होता है।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राष्ट्र ने समूचे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया वहां पर कुछ नागरिक बेसुधी से अहिंसा व सार्वजनिक सम्पत्ति को विध्वंस करते हुए नजर आते हैं। हिंसा का पूर्ण परित्याग हमारा मौलिक कर्त्तव्य है। अपने रोष को प्रकट करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए।

9. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिय प्रयत्न ताकि राष्ट्र निरन्तर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्चतर शिखरों पर पहुँचे {खण्ड (ञ)}

उत्कृष्टता सफलता की कुँजी है। उत्कृष्टता में ही विकास का रहस्य छुपा हुआ है। यह हमारा मौलिक कर्त्तव्य है कि हमारा राष्ट्र निरन्तर प्रगति करे और नये शिखरों पर पहुँचे। यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। उत्कृष्टता ही प्रगति एवं सफलता का रहस्य है तथा जापान व सिंगापुर इसके जीवन्त उदाहरण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद, कुछ ही वर्षों में जापान पुनः समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरा, यह एक विस्मय की बात है। इसका अनछुपा रहस्य, उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न है। कठोर परिश्रम हमारा कर्त्तव्य है व हमें उसका विकल्प खोजने का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए।

10. माता–पिता या संरक्षक के लिए छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना {खण्ड (त)}

राष्ट्र के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, शिक्षा का है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक एवं समूचे राष्ट्र के विकास का आधार, प्राथमिक शिक्षा है।

6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, उनका मौलिक अधिकार है।

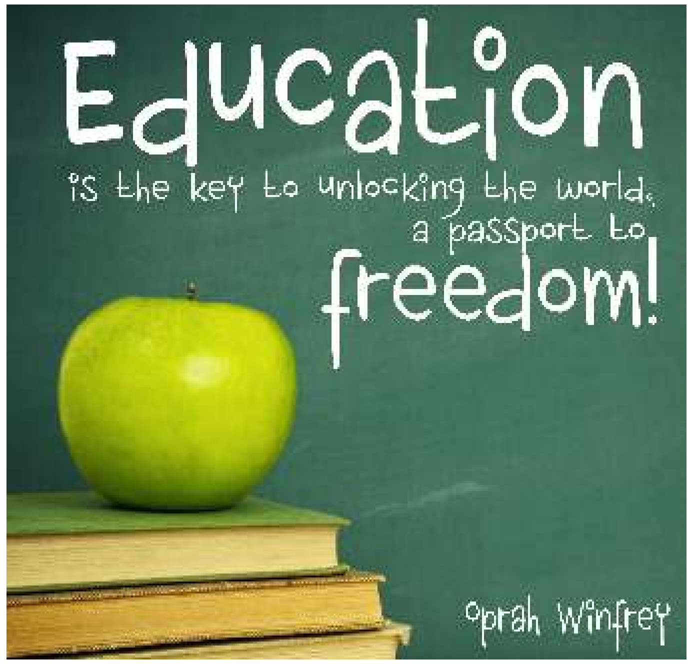

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में बालकों का अधिकार अधिनियम, 2009, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उपरोक्त अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

- प्रत्येक बालक को, जिसकी आयु 06 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण होने तक पड़ोस के किसी विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है।
- इस उद्देश्य के लिए किसी भी बच्चे से ऐसी किसी प्रकार की फीस या खर्चा नहीं मांगा जाएगा, जो उसे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में बाधा उत्पन्न करे।
- जहां पर 06 वर्ष की आयु से अधिक का कोई बच्चा स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया या दाखिले के पश्चात् अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया, उस परिस्थिति में उसे, उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। माता–पिता एवं अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा देना सबसे जरूरी है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। शिक्षा से ही समूचे राष्ट्र में परिवर्तन आ सकता है।

"I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your head. I feel your feelings. My wisdom flows from the Highest Source. I salute that Source in you. Let us work together for unity and love."

- Mahatma Gandhi

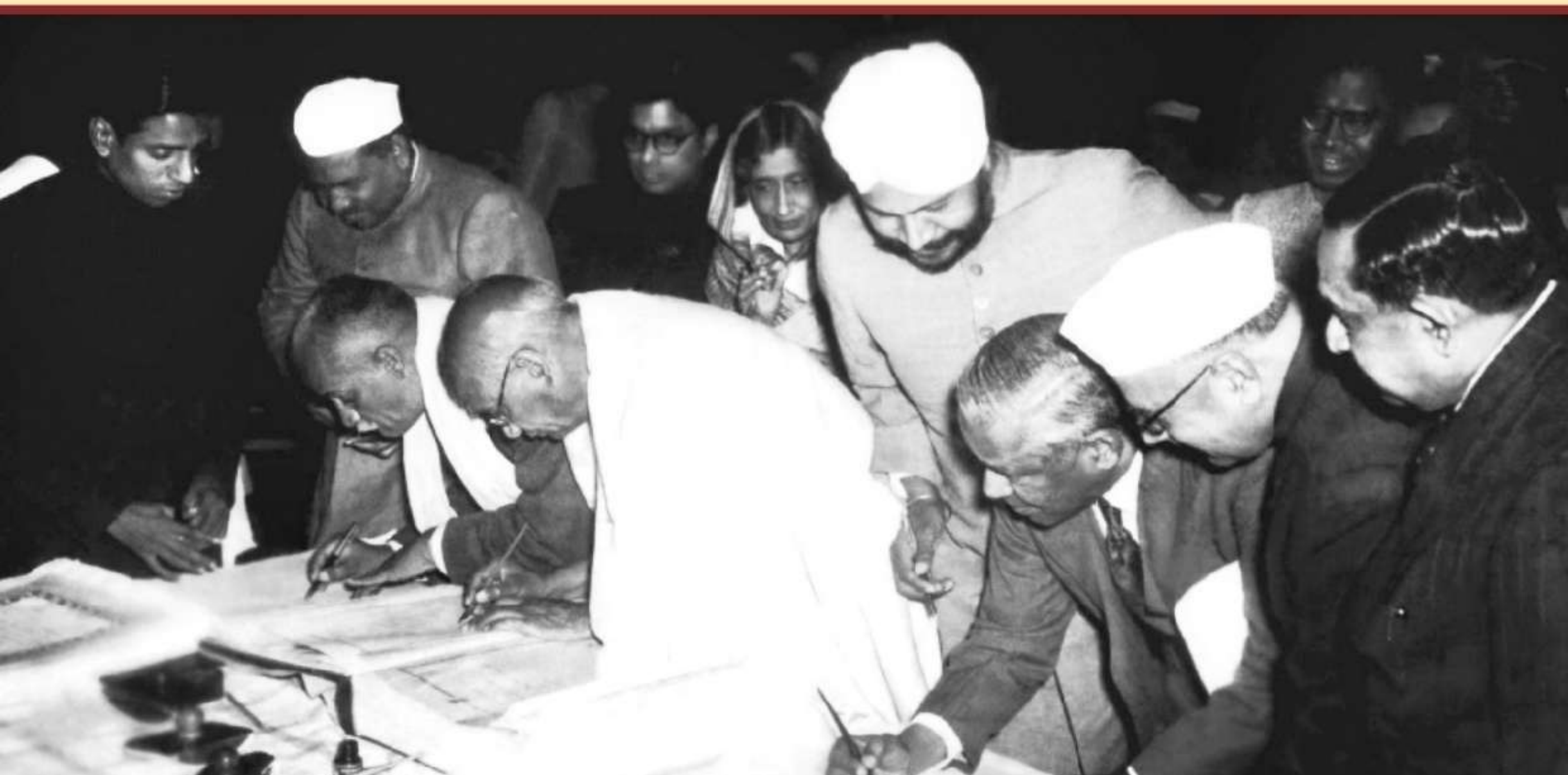

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) हेल्पलाईन : 15100, E-mail: mplsajab@nic.in

फोन : 0761-2678352, 2624131, फैक्स : 2678537 ईमेल : mplsajab@nic.in, वेबसाईट : mpslsa.nic.in

Matter courtesy: NALSA, Haryana State Legal Services Authority

For private circulation only